भवन के निर्माण की समय-सीमा समाप्त, फिर भी कार्य अधूरा

नवीन हुजूर तहसील के भवन का मामला

लोक निर्माण विभाग कंस्ट्रक्शन कंपनी पर मेहरबान

समय वृद्धि कर दी नहीं लगाई पेनाल्टी

तीन मंजिल भवन में नहीं है लिफ्ट

नवभारत संवाददाता

भोपाल, 02 अप्रैल. जिले की हूजूर तहसील के लिए नवीन भवन का निर्माण कार्य किया जा रहा है. यह निर्माण लाल घाटी क्षेत्र के मुख्य मार्ग के पास हो रहा है., जो कि तीन मंजिल है.

इसका निर्माण का कार्य का टेंडर हरिओम कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था, जो वर्तमान में कार्य कर रही है. इस निर्माण पर शासन ने लगभग 8 करोड़ 38 लाख रुपए मंजूर किए गए थे, जिससे यहां पर कर्मचारियों और आने वाली वाली जनता को सुविधा हो सके, जिसे लगभग दो वर्ष से अधिक समय होने के बाद भी अभी तक पूरा नहीं हो सका है. जबकि इस भवन के निर्माण के लिए टेंडर में 18 महीने का समय दिया था, जो कि फरवरी माह में ही समाप्त हो गई है. अभी इसके पूरी तरह से तैयार होने में लगभग दो माह का समय लगेगा. इसके लिए जहां कलेक्टर और अन्य अधिकारी भी समय-समय पर निरीक्षण करते रहे है. फिर भी समय पूरा नहीं किया जा सका है. निर्माण कंपनी को कार्य पूर्ण करने के लिए समय तो बढ़ा दिया गया, लेकिन पेनाल्टी नहीं लगाई गई है. कंपनी पर लोक निर्माण विभाग पूरी तरह से मेहरबान है. जबकि समय पर कार्य पूरा न होने पर वृद्धि के समय पेनाल्टी लगाना चाहिए. जितनी कार्य में देरी होगी उसी प्रतिमाह से पेनाल्टी बढ़ती जाना चाहिए.

> शासन ने नवीन हूजूर तहसील का निर्माण के लिए टेंडर जारी किया और उसका तीन मंजिला भवन निर्माण कार्य भी पूरा हो गया है, लेकिन इसमें आगंतुकों के लिए लिफ्ट की व्यवस्था नहीं की गई है. जबकि लिफ्ट के लिए सॉफ्ट का निर्माण किया है. यहां पर ग्रामीण क्षेत्र से विकलांग और बुजुर्ग भी आएंगे, उनको सीढ़ियों से चढ़ने में काफी परेशानी होगी. वहीं रैंप का निर्माण किया गया है, लेकिन उसपर चलकर जाना विकलांग और बुजुर्गों के लिए कठिनाई होगी. जबकि अन्य नवीन भवन में लिफ्ट की व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाता है.
>
> **इनका कहना है**
>
> कंपनी के लिए निर्माण कार्य का दिया समय पहले ही पूरा हो चुका है, उसका समय बढ़ा दिया गया है. वहीं पेनल्टी लगाना मेरे अधिकार में नहीं है. मुख्य अभियंता का अधिकार है. कार्य पूरा होने के बाद पेनल्टी लगाई जाएगी.-
>
> **शिरीन खान, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, भोपाल**

आसिफ के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 02 अप्रैल. अशोका गार्डन थाना इलाके में होटल संचालक की हत्या के आरोपी आसिफ खान उर्फ बम के खिलाफ रातीबड़ थाने में हत्या का प्रयास करने का केस दर्ज किया गया है. आरोपी आसिफ को पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर करते हुए पकड़ा.

घायल अवस्था में उसे हमीदिया अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसका उपचार किया जा रहा है. आसिफ कब तक अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा. फिलहाल इसकी जानकारी सामने नहीं आ सकी है. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त जोन-1 रश्मि अग्रवाल दुबे ने बताया कि आरोपी आसिफ का इलाज अभी जारी है. डॉक्टरों की तरफ से उसकी फिटनेस को लेकर अभी कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई है. आरोपी पर रातीबड़ थाने में हत्या का प्रयास करने का मामला दर्ज किया है. बता दें कि आसिफ और उसके दो साथियों पर 31 वर्षीय होटल संचालक विजय मेवाड़ा की हत्या करने का आरोप है. इस हत्याकांड में आसिफ मुख्य आरोपी के तौर पर हत्या में शामिल था. आसिफ के खिलाफ पूर्व में कई आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हैं.

पुलिस इससे पहले विजय की हत्या के मामले में आसिफ के दो आरोपी साथियों आरोपी फरमान उर्फ आरिस और मो. इमरान उर्फ ब्रावो को घटना के कुछ ही घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया था. वारदात को अंजाम देने के बाद आसिफ लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था. घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद पुलिस के सामने आसिफ की फरारी चुनौती बनी हुई थी. पुलिस लगातार तकनीकी सहायता लेते हुए उसकी लोकेशन ट्रेस की और रातीबड़ इलाके में उस तक पहुंची.

एक नजर में

ऑटो में बैठी महिला का मंगलसूत्र चोरी

भोपाल. शाहजहांनाबाद थाना क्षेत्र में मंगलसूत्र चोरी कर लिया. 55 वर्षीय मुन्नीबाई प्रजापति निवासी बैरसिया ने शिकायत दर्ज कराई. महिला ने बताया कि 7 फरवरी को वह घोड़ा नक्कास स्थित एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आई थी. मुन्नीबाई जब अगले दिन बैरसिया वापस लौटने के लिए सवारी ऑटो में बैठी और बस स्टैंड जा रही थी. ऑटो से उतरने के बाद मुन्नीबाई जब अपने स्टाप पर उतरीं और गले पर हाथ रखा तो मंगलसूत्र गायब मिला.

फरार बदमाश गिरफ्तार

भोपाल. कमला नगर थाना पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है. आरोपी पर अपहरण कर हत्या का प्रयास का मामला दर्ज था और वह बीते कुछ महीने से फरार चल रहा था. पुलिस के मुताबिक बीते फरवरी महीने में फरियादी मयंक जाटव उर्फ भोला (25) निवासी कोटरा सुल्तानाबाद ने शिकायत दर्ज कराई थी. मयंक ने पुलिस को बताया कि 19 जनवरी को उनके भतीजे अर्नव जाटव का मोहल्ले में रहने वाले अनुज डेहरिया और आर्यन मीना से मोबाइल चलाने की बात को लेकर आपस में झगड़ा हो गया था. इसके दूसरे दिन और आर्यन मीना ने अनुज के साथ मारपीट कर दी और इस पर मयंक ने बीच बचाव फिर से कर दिया. इस बात से नाराज आरोपियों ने मयंक की रैकी करते हुए एक फरवरी को उनका अपहरण कर लिया था.

शराब की दुकान की शिफ्टिंग होने का विरोध

कोलार में रहवासियों ने किया विरोध-प्रदर्शन

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 02 अप्रैल. कोलार इलाके में शराब की एक दुकान की शिफ्टिंग होने से स्थानीय लोगों ने गुरुवार को इसका विरोध किया. मंदाकिनी चौराहे पर दुकान की शिफ्टिंग होने पर महिला और पुरुष वहां पहुंचे और घंटों तक भजन-कीर्तन किया.

> इस दौरान पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग दुकान हटाने की मांग करते रहे. प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि यह रहवासी इलाका है और जहां शराब की दुकान खुली है. वहां से कुछ ही दूरी पर जैन मंदिर है. लोगों ने दुकान का विरोध करते हुए जिला कलेक्टर से मामले में कार्रवाई की मांग की है. इस दौरान स्थानीय नेता भी लोग के बीच में शामिल हुए और दुकान के खोले जाने का विरोध किया. स्थानीय लोगों ने मामले की शिकायत को लेकर कोलार थाना प्रभारी को ज्ञापन भी सौंपा है. लोगों की मांग है कि तत्काल दुकान को हटाने की कार्रवाई की जाए.

सायबर जालसाजों ने की साढ़े 18 लाख की ठगी

भोपाल. चूना भट्टी थाना इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ साढ़े 18 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. साइबर जालसाजों ने पीड़ित को शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का लालच दिया. झांसे में आए पीड़ित को अपने जाल में फंसाते हुए लाखों रुपये ऐंठ लिए. पीड़ित ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई. सायबर और चूना भट्टी थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. ललित नामदेव चाणक्यपुरी में रहते हैं. वह प्रापर्टी डीलिंग का काम करते हैं. कुछ महीने पहले उन्होंने शेयर मार्केट में निवेश का सोचा. बीते जनवरी महीने में इससे जुड़े एक एप पर ललित ने होने वाले मुनाफे को समझा और इंवेस्ट कर दिया.

दो अड़ीबाज बदमाशों को अरेस्ट कर भेजा जेल

अयोध्यानगर थाना पुलिस ने दो अड़ीबाज बदमाशों को दबोचा. पुलिस ने दोनों बदमाशों को कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपियों को जेल भेज दिया गया. आरोपी शराब पीने के लिए पैसो की अड़ीबाजी कर रहे थे. पुलिस के मुताबिक 28 मार्च को झील नगर में रहने वाले बदमाश आशीष यादव उर्फ बब्बी और विक्की उर्फ विकास धनमेरिया ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर फरियादी शिवम बिछैले के साथ राजीव नगर के मैदान में शराब पीने के लिए पैसों की अड़ीबाजी कर मारपीट की थी.

बस की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 02 अप्रैल. बिलखिरिया थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बस की चपेट में आ जाने से बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसे में बाइक पर बैठे बुजुर्ग व्यक्ति को गंभीर चोटें आई.

घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. हादसे बाद बस का चालक फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है. जानकारी के मुताबिक 26 वर्षीय सुरेंद्र लोधी बेगमगंज जिला रायसेन का निवासी था. देर शाम जब अपने साथ काम करने वाले बुजुर्ग मो. इस्माइल (72) के साथ बाइक से सामान लेने के लिए बेगमगंज से भोपाल जा रहे थे. इस दौरान रायसेन रोड स्थित पुरानी कलारी के सामने से आ रही तेज रफ्तार की बस ने बाइक सवारों को अपनी चपेट में ले लिया. सुरेन्द्र की मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने शव का पीएम कराकर उनके परिजनों को सौंप दिया है. घायल बुजुर्ग का हमीदिया अस्पताल में इलाज जारी है.

जल गंगा संवर्धन अभियान से मजबूत होगा जल आधार

भोपाल. जल संरक्षण, पर्यावरण संतुलन एवं सतत विकास को सुदृढ़ आधार प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 30 जून 2026 तक चलेगा। प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा यह महाअभियान केवल प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य के समग्र विकास, ग्रामीण आजीविका सुदृढ़ीकरण एवं भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण जन-अभियान के रूप में चल रहा है।

19 अप्रैल को होगा सामूहिक विवाह समारोह

आयोजन को लेकर जनपद फंदा में हुई बैठक

नवभारत संवाददाता

भोपाल, 02 अप्रैल. जिले की जनपद पंचायत फंदा के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के तहत आयोजन किया जाना है. आयोजन की तैयारियों को लेकर गुरुवार को बैठक फंदा सभाकक्ष में आयोजित हुई.

अप्रैल महीने में विवाह के शुभ मुहूर्त के अवसर पर सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बीपीएल परिवारों की कन्या के नि:शुल्क विवाह किए जाएंगे. जनपद पंचायत फंदा की मुख्य कार्यपालन अधिकारी शिवानी मिश्रा ने बताया कि 19 अप्रैल को ग्राम पंचायत फंदा में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अंतर्गत विवाह समारोह का आयोजन हुजूर विधायक के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाना है. सरपंच एवं सचिवों से कहा कि पंचायत के अंतर्गत गरीब बीपीएल कार्ड धारी परिवारों की कन्याओं का नि:शुल्क विवाह सरकार द्वारा कराया जा रहा है.

> इच्छुक कन्याओं के परिवारों से संपर्क कर बीपीएल कार्ड धारी कन्याओं का विवाह के लिए चिन्हित कर परिवार को मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह सम्मेलन की जानकारी दी जाएगी. सम्मेलन में विवाह करने के इच्छुक कन्याओं के फॉर्म भरकर जनपद कार्यालय फंदा में जमा करें. बैठक में मुख्य रूप से हुजूर एसडीएम विनोद सोनकिया, सीईओ जनपद फंदा शिवानी मिश्रा, पीओ डुड़ा निधि चौकसे, दिलीप कुमार शिंदे एवं सरपंच सचिव उपस्थित थे.

निवेश घोटाले की जांच करेगी सीआईडी

820 पीड़ितों से 42 करोड़ रुपये की ठगी का मामला

विशेष संवाददाता

भोपाल, 02 अप्रैल. मध्यप्रदेश के टीकमगढ़, विदिशा, अशोकनगर और दमोह जिलों में संचालित एक कथित निवेश कंपनी द्वारा किए गए बड़े वित्तीय घोटाले का मामला सामने आया है.

कंपनी ने लोगों को धनराशि दोगुना-तीन गुना करने का लालच देकर निवेश कराया, लेकिन अवधि पूरी होने के बाद निवेशकों को पैसा वापस नहीं किया गया, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए हैं. मामले की गंभीरता और व्यापकता को देखते हुए पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने सभी प्रकरणों को आगे की जांच के लिए अपराध अनुसंधान विभाग (सीआईडी) को सौंपने के निर्देश दिए हैं. जबलपुर और भोपाल स्थित सीआईडी इकाइयों की टीमें पुलिस महानिरीक्षक, सीआईडी के पर्यवेक्षण में जांच करेंगी. चारों जिलों में कुल 11 मामले दर्ज किए गए हैं. प्रारंभिक जांच में लगभग 820 पीड़ितों से 42 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी सामने आई है, जबकि यह आंकड़ा बढ़ने की संभावना है. पुलिस के अनुसार यह मामला एक संगठित पोंजी योजना का प्रतीत होता है. मुख्य आरोपियों की पहचान, कार्रवाई और संपत्ति की बरामदगी के प्रयास जारी हैं. पुलिस ने नागरिकों से निवेश से पहले पूरी जांच-पड़ताल करने की अपील की है.

दुकान में चोरी करने वाले आरोपी को सुनाई सजा

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 02 अप्रैल. हनुमानगंज इलाके में एक दुकान में चोरी करने वाले आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सजा सुनाई है. गुरुवार को जिला कोर्ट में जज ने फैसला सुनाते हुए आरोपी पर इसके साथ ही अर्थदंड भी लगाया गया है.

संभागीय जनसंपर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि राहुल सिंह यादव न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दुकान मे अंदर घुसकर चोरी करने वाले आरोपी कल्लू ठाकुर को दोषी पाया. आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये अर्थदंड लगाया गया. प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन नीरज भार्गव ने पैरवी की. घटना बीते 4 फरवरी 2025 की है. फरियादी सौरभ ने पुलिस थाना हनुमानगंज में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. फरियादी ने पुलिस को बताया कि 3 फरवरी 25 को रात के समय जब वह अपनी दुकान बंद करके घर चला गया था. सौरभ अगले दिन दोपहर के समय दुकान पहुंचा और दीवार तोड़कर चोरी हो चुकी थी.

केबिन में फंसे चालक को सुरक्षित निकाला

विशेष संवाददाता

भोपाल, 02 अप्रैल. छतरपुर जिले में हुए सड़क हादसे में डायल-112 टीम की त्वरित और साहसिक कार्रवाई से ट्रक के केबिन में फंसे एक चालक की जान बचा ली गई.

गुरुवार को भोपाल स्थित राज्य पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि बकस्वाहा थाना क्षेत्र के गढ़ोही के पास दो ट्रकों की आमने-सामने टक्कर हो गई है, जिसमें एक चालक केबिन में फंसा हुआ है.

सूचना मिलते ही एफआरवी वाहन को तुरंत मौके पर रवाना किया गया. मौके पर पहुंचे आरक्षक मोनू साहू और पायलट राजकुमार ने पाया कि चालक ट्रक के क्षतिग्रस्त केबिन में बुरी तरह फंसा हुआ है.

> स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तुरंत जेसीबी मशीन बुलवाई, ट्रक को सीधा करवाया और चालक को सुरक्षित बाहर निकाला. घायल चालक को तत्काल बकस्वाहा के शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है. डायल-112 टीम की तत्परता, सूझबूझ और बहादुरी से एक बड़ा हादसा टल गया, जो आपात स्थितियों में मध्यप्रदेश पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

समाधान अब 15 मई तक मिलेगा 90 फीसदी तक सरचार्ज में छूट का लाभ

योजना के द्वितीय चरण की अवधि में डेढ़ माह का विस्तार

भोपाल, 02 अप्रैल. मध्य प्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 के द्वितीय चरण की अवधि डेढ़ माह और बढ़ा दी गई है. बकायादार उपभोक्ताओं की सतत भागीदारी और उनके उत्साह को देखते हुए योजना के द्वितीय चरण की अवधि अब 15 मई कर दी गई है. पिछले साल 3 नवंबर से शुरू हुई समाधान योजना 2025-26 में शामिल होकर लाखों बकायादार उपभोक्ताओं ने छूट का लाभ लिया है.

कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि तीन माह से अधिक के बकायादार उपभोक्ता योजना के द्वितीय चरण में शामिल होकर अपना बकाया बिल एकमुश्त जमा करके 90 फीसदी तक सरचार्ज माफी का लाभ उठा सकते हैं.

मध्यप्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 के लागू होने से ऐसे अनेक उपभोक्ता हैं, जो बकाया बिल जमा कर रहे हैं और एकमुश्त बकाया राशि जमा करने पर अधिकतम छूट का लाभ ले रहे हैं. यह योजना उन बकायादार उपभोक्ताओं के लिए वरदान बनी है, जो सरचार्ज के कारण मूलधन राशि जमा नहीं कर पा रहे थे. अब उन्हें समाधान योजना के द्वितीय चरण में सरचार्ज में 70 से लेकर 90 प्रतिशत तक छूट के साथ एकमुश्त अथवा किस्तों में भुगतान करने पर 50 से लेकर 60 प्रतिशत तक छूट का विकल्प मिल रहा है.

पीडब्ल्यूडी ऑफिस के पास क्षतिग्रस्त स्ट्रीट लाइट खंभा बना खतरा

भोपाल, 2 अप्रैल. प्रोफेसर कॉलोनी स्थित पीडब्ल्यूडी ऑफिस के पास मुख्य सड़क पर लगा स्ट्रीट लाइट का खंभा जर्जर हालत में है और टूटने की कगार पर पहुंच चुका है. यह क्षेत्र न केवल व्यस्त मार्ग है, बल्कि इसके आसपास कई सरकारी क्वार्टर भी बने हुए हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं. इसके बावजूद संबंधित बिजली विभाग इस गंभीर समस्या की और ध्यान नहीं दे रहा है. स्थानीय रहवासियों के अनुसार बताया गया, खंभा काफी समय से टेढ़ा है और तेज हवा या आंधी के दौरान इसके गिरने का खतरा लगातार बना रहता है.

स्टेशन के सामने सड़क पर युवक की पिटाई

भोपाल. रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के सामने सड़क पर एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया है. इस घटना का एक कथित वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक कार के पास युवक के साथ 4 से 5 की संख्या में लड़के मारपीट करते नजर आ रहे हैं. मारपीट के बीच कुछ लड़कियां युवक को बचाने की कोशिश भी करती दिखी. इस दौरान सड़क पर जाम की स्थिति भी बनी रही. मारपीट का शिकार हुए युवक की पहचान दर्पण सिंह के रूप में की गई है. दर्पण देर रात को अपने कुछ साथियों के साथ होटल पर खाना खाने के लिए गया था. होटल से निकलते ही जब वह अपनी कार की तरफ बढ़ा तो कुछ लड़के उसके पास पहुंचे और विवाद करते हुए हाथापाई करने लगे थे.

चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान का जीएडी ने किया आदेश जारी

प्रदेश के दो लाख शिक्षक होंगे लाभान्वित

नवभारत संवाददाता

भोपाल, 02 अप्रैल. प्रदेश में शिक्षकों के लिए नई खुशखबरी है. चतुर्थ क्रममोन्नति वेतनमान के आदेश गुरुवार को मंत्रालय ने जारी कर दिए है.

इसकी घोषणा 5 सितंबर 2025 शिक्षक दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की थी और कहा था कि इस घोषणा के बाद प्रदेश सरकार पर लगभग 322 करोड़ का वित्तीय भार आएगा. इस आदेश में प्रदेश के डेढ़ लाख से अधिक सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक जिसमें खेल एवं संगीत शिक्षकों को भी सम्मलित किया है.

इसके लिए शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. क्षत्रवीर सिंह राठौर एवं शिक्षक संघ के महामंत्री राकेश गुप्ता तथा संपूर्ण संगठन के द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे थे. मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने प्रशासन के अधिकारियों के प्रति भी आभार माना है.